



कुलसचिव कार्यालय
(राजभाषा प्रकोष्ठ)

Office of the Registrar
(Rajbhasha cell)

पत्र संख्या. भा.प्रौ.सं.(का.हि.वि.)/ रा.भा.प्र./4(1)/हिन्दी कार्यशाला (भाग-II)/17288 दिनांक:11.12.2023

- | | |
|--|--|
| 1. समस्त अधिष्ठातागण | 10. समन्वयक, गांधी प्रौद्योगिकी स्नातक केन्द्र |
| 2. समस्त सह अधिष्ठातागण | 11. समस्त प्रशासनिक संरक्षक |
| 3. समस्त विभागाध्यक्ष/स्कूलों के समन्वयक | 12. समस्त संयुक्त कुलसचिव |
| 4. प्रभारी इकाई/केन्द्र/कार्यालय | 13. समस्त उप कुलसचिव |
| 5. समस्त आचार्य प्रभारी | 14. समस्त सहायक कुलसचिव |
| 6. अध्यक्ष, कैफेटेरिया | 15. निदेशक के निजी सचिव |
| 7. अध्यक्ष, संरक्षक परिषद | 16. कुलसचिव के वैयक्तिक सहायक |
| 8. चीफ काउंसलर, जिमखाना | 17. केयर टेकर, कुलसचिव कार्यालय |
| 9. मुख्य आरक्षाधिकारी | भा.प्रौ.सं.(का.हि.वि.)। |

विषय: कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने हेतु दो दिवसीय तकनीकी कार्यशाला का आयोजन।

महोदय/महोदया,

संस्थान राजभाषा हिंदी के व्यापक प्रसार एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में कंप्यूटर पर हिंदी में सहज रूप से कार्य करने के लिए **दो दिवसीय तकनीकी कार्यशाला का आयोजन 21-22 दिसंबर, 2023 को** किया जाएगा। उक्त दो दिवसीय तकनीकी कार्यशाला का विवरण इस प्रकार है:

प्रशिक्षक	सत्र	विषय
श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा सहायक निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, पुणे, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।	प्रथम सत्र 10:00 से 01:30 बजे तक द्वितीय सत्र 02:30 से 06:00 बजे तक	इनस्क्रिप्ट की-बोर्ड के माध्यम से यूनिकोड में हिंदी टंकण, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर प्वाइंट पर हिंदी में कार्य, भारत सरकार द्वारा निर्मित कंठस्थ 2.0 अनुवाद टूल की विस्तृत जानकारी, हिंदी के विभिन्न सॉफ्टवेयरों की जानकारी, हिंदी वायस टाइपिंग, मोबाइल फोन के माध्यम से बोलकर डाक्यूमेंट रूप में कंप्यूटर पर टाइप करना, राजभाषा नियम/ अधिनियम की तकनीकी जानकारी।
स्थान: एनी बेसेंट व्याख्यान कक्ष संकुल (एबीएलटी- 4), भा.प्रौ.सं. (का.हि.वि.) वाराणसी।		

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने कार्यालय में कंप्यूटर पर कार्य करने वाले गैर-शिक्षण कार्मिकों को दिनांक **14.12.2023 तक नामित करके** राजभाषा प्रकोष्ठ के ई-मेल rajbhasha@itbhu.ac.in पर कर्मचारी का पूर्ण विवरण प्रेषित करने का कष्ट करें। इस दो दिवसीय कार्यशाला हेतु कार्यालय के सभी कनिष्ठ सहायकों को अनिवार्य रूप से नामित करें। इसके अतिरिक्त कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ सहायक/वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए नामित करने का कष्ट करें ताकि वे कार्यशाला के माध्यम से पूर्णतः लाभान्वित हो सकें।

भवदीय,

Prisha Paloria

उप कुलसचिव (राजभाषा)

भा.प्रौ.सं.(का.हि.वि.) वाराणसी